Indian J. Soc. & Pol. 08 (01) :97-98 : 2021 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 January 2021 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

किसान विकास के नये आयामः नये कृषि सुधार कानून

राम प्रीति मणि त्रिपाठी[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर (कृषि प्रसार),बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय,देवरिया,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

कृषि में भारत की सामर्थ्य बहुत अधिक और विविध है हमारे पास विश्व की सबसे मजबूत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली है। भौगोलिक रुप से भारत दुसरा सबसे बड़ा कृषि योग्य भू–क्षेत्र है और 127 से अधिक विविध कृषि जलवायु क्षेत्र है जिससे फसलों की संख्या की दृष्टि से भारत वैश्विक रुप से नेतृत्व कर सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करा जाए, इसके लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन सुधारने और नीतिगत सुधार की रणनीति बनायी गयी है। उत्पादन बढ़ाने सम्बंधी पहलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि संबंधी नये कानून महत्वपूर्ण है। ई नाम और बाजार सुधारों से किसान अपने उत्पाद के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सफल होंगे। किसान जो कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है उनकी आय बढ़ाने और उनकी खुशहाली की दिशा में किया जा रहा पहल प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रस्तुत शोध पत्र में नए कृषि सुधारों से कृषक विकास की दशा को कैसे प्राप्त करेगा इस पर प्रकाश डाला गया है।

KEYWORDS: *किसान समृद्धि, व्यापार वाणिज्य, भण्डारण, प्रहतिस्पर्धा, बीज प्रौद्वोगिकी, वैश्विक प्रतियोगिता, आत्म निर्भर भारत*

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास और उन्नति किसी राष्ट्र एवं समाज की प्रगति का सूचक है। चूँकि हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है ऐसे में ग्रामीण भारत की समृद्धि कृषि विकास और किसानों के कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ी है। भारत सरकार इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है इसलिए किसानों की समृद्धि से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इस सफलता के लिए सरकार ने बहु–स्तरीय रणनीति अपनाई है। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, शत–प्रतिशत नीम लेपित यूरिया की शुरुआत जैसे नये कदम उठाए गए।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून 2020

किसानों को राज्यों में स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति (ए.पी.एफ.सी.) से बाहर भी उत्पादों के बाहर भी खरीद बिक्री की छूट की गई है। इसका उद्देश्य व्यापार एवं परिवहन लागत को कम करके किसानों के उत्पाद को अधिक मूल्यदिलवाना तथा ट्रेडिंग के लिए सुविधा तंत्र विकसित करना है। इस कानून को लेकर किसानों तथा मण्डी में उपस्थित व्यापारियों एवं अढतियों के मन में कुछ आशंकायें जरुर हैं, किसान अगर मण्डियों के बाहर उत्पाद बेचेंगे तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। कमीशन एजेण्ट बेरोजगार हो जायेंगे। न्यूनतम समर्थन (एम.एस.पी.) आधारित खरीद प्रणाली खत्म हो जायेगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020:

अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाना। युद्ध जैसे अपवाद स्थिति को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह सीमा तय नही की जायेगी।

आशंकाएँः असामान्य परिसिथतियों के लिए तय की गयी कीमत की सीमा इतनी अधिक होगी कि उसे हासिल करना आम आदमी के वश मे नही होगा। बड़ी कम्पनियाँ आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण करेगी। यानी कम्पनियाँ किसानों पर शर्तें थोपेंगी, जिससे उत्पादकों को कम कीमत मिलेगी।

वास्तविकता यह है कि कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि अपनी क्षमता के अनुरुप उत्पादों का भण्डारण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल बर्बाद नही होगी। फसलों को लेकर किसानों की अनिश्चितता खत्म हो जायेगी। व्यापारी आलू व प्याज खरीद कर उसका कोल्ड स्टोरेज में भण्डारण कर सकेगें। इससे फसलों की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उसके उत्पाद की उचित कीमत मिल पायेगी। कृषि क्षेत्र में निजी व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज व खाद्य आपूर्ति श्रृँखला के आधुनिकीकरण में निवेश एवं प्रोत्साहन मिलेगा। जब सब्जियों की कीमत दो गुना हो जायेगी या खराब होने वाली अनाज का मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ जायेगा तो सरकार भण्डारण की सीमा तय कर देगी। इस प्रकार किसान व खरीददार दोनों को फायदा होगा।

पहले की फसल खरीद प्रणालीः

किसान राज्य सरकार की बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) यानी मंडियों में अपने उत्पाद बेचते थे मंडियों में किसान अपने उत्पाद अधिकृत कमीशन एजेण्ट के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होते थे। पंजाब व हरियाणा में उन्हे उढ़ती कहा जाता है। सिर्फ बिहार, केरल, मणिपुर, लक्ष्यद्वीप, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में मंडिया नही हैं। मंडियों में कमीशन एजेन्ट के माध्यम से किसानों को उत्पाद बिक्री में मिलने वाली

1: Corresponding Author

कुल रकम मे से 1.5–3.1 प्रतिशत कटौती कर लेते हैं। यह कटौती उत्पाद की सफाई, छंटाई व अनाज का ठेका आदि के नाम पर होता है। मंडिया एजेंटों से फीस वसूल करती हैं। एफ.सी.आई. समेत अन्य सरकारी एजेंसियाँ 60–70 दिनों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद करती हैं। हलांकि, इस दौरान फसलों की गुणवत्ता भी देखी जाती है। इसके बाद व्यापारी बाजार मूल्य के अनुरुप खरीद करते हैं।

कृषि (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कानून 2020:

किसानों को कृषि कारोबार करने वाली कम्पनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों व संगठित खुदरा विक्रेताओं से सीधे जोड़ना। कृषि उत्पादों का पूर्व में ही दाम तय करके कारोबारियों के साथ अनुबन्ध की सुविधा प्रदान करना। पाँच हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमान्त व छोटे किसानों को समूह को अनुबन्ध कृषि का लाभ देना। छैश्ज्ञ वै 86 प्रतिशत किसानों के पाँच हेक्टेयर से कम जमीन है। कृषकों को आशंकाएँ हैं कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वे मोलभाव नही कर पायेंगे। प्रायोजक शायद छोटे व सीमांत किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुएउनसे परहेज करें। बड़ी कम्पनियाँ, निर्यात थोक विक्रेता व प्रसंस्करण इकाइयां किसी भी प्रकार के विवाद का लाभ उठाना चाहेंगी। कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जायेगा।

जबकि, वास्तविकता यह है कि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि, इस कानून का लाभ देश के 86 प्रतिशत किसानों को मिलेगा। किसान जब चाहे अनुबन्ध तोड़ सकते हैं, लेकिन कम्पनिया अनुबन्ध तोड़ती हैं तो उन्हें कृषकों को जुर्माना अदा करना होगा। तय समय सीमा मे विवादों का निपटारा होगा। खेत और फसल दोनों का मालिक हर स्थिति में किसान ही रहेगा। पहले अनुबन्ध कृषि का स्वरुप अलिखित था। तब निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कपास, चाय, काफी व फूलों का उत्पादन के लिए ही अनुबन्ध किया जाता था। कुछ राज्यों ने पहले के कृषि कानून के तहत अनुबन्ध कृषि के लिए नियम बनाये थे जिसमें अब तक कृषि उत्पाद बाजार से ज्यादा की कमाई की है। किसान हितों के लिए मौजूदा सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार सरकार के कृषि बजट से स्पष्ट है केन्द्र का कृषि बजट पाँच साल में 12,000 करोड़ से बढ़कर आज 1,34,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। केन्द्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य नही बल्कि कृषि के बजट को भी उसके अनुरुप बढ़ाया है। मोदी सरकार शास्त्री जी के 'जय जवान जय किसान' नारे को आगे ले जाते हुए दर्जनों ऐसे सुधारवादी कदम जिससे किसान खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर है। करोड़ों किसानों को साइल हेल्थकार्ड दिये, माइक्रो इरिगेशन, कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 गुना किया गया, कृषि ऋण 57 प्रतिशत अधिक दिया गया और कृषि त्रहण में दी जाने वाली छूट 150 प्रतिशत बढ़ा। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। बिमित किसानों की संख्या 13.26 करोड़ हो गयी है। पी. एम. किसान सम्मान निधि और पी.एम.किसान पेंशन योजना के माध्यम से किसानों को सीधी सहायता देने का काम किया गया है। अब तक 19.21 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 112 हजार करोड़ धनराशि उनके खातों में भेज चुकी है। पेंशन योजना में अब तक 19.9 किसान जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की कृषि मूलभूत संरचना निधि के अन्तर्गत वित्तपोषण की एक नई केन्द्रीय योजना तैयार की है।

आज भारत की सप्लाई चेन लागत ही 14–15 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 7–8 प्रतिशत है। अभी किसान अपनी खेत से माल लादकर मंडी ले जाता है मंडी में थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी, फिर ग्राहक तक पहुँचता है। इतनी लम्बी श्रँखला में उपज और समय की बर्बादी के साथ लागत कदम–कदम पर बढ़ती जाती है। इसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। भारत में अनाज, सब्जी, दूध और मछली पालन मिलाकर करीब 26 करोड़ रुपये की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। वन एवं वनोपज मिलाकर यह करीब 29 लाख करोड़ की हो जाती है। यह कीमत सिर्फ कच्चे माल की है, यदि इसमें होने वाली बर्बादी ही रोक ली जाए तो डेढ से दो लाख करोड़ रुपये का सीधा लाभ ग्राहक से लेकर किसान तक को देने के साथ भारत वैश्विक बाजार में प्रतियोगिता भी कर सकता है।

ए.पी.एम.सी. एक्ट में सुधार के बाद निजी क्षेत्र की कई कम्पनियाँ सीधे किसान से जुड़ सकेंगी। गोदाम एवं कोल्ड स्टोर बनाएंगी। छोटी जोत वाले कई किसानों को जोड़कर क्लस्टर तैयार करेंगी। उन्हें तकनीक और नई तरह के बीज उपलब्ध कराएंगी। किसान बाजार के जरुरत के हिसाब से उत्पादन करेगा तो उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलने की गारंटी होगी। तैयार उपज की शर्टिंग–ग्रेडिंग करके उसे वैश्विक बाजार के स्तर तक लाया जायेगा। जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये गतिविधियाँ बढ़ेगी तो वहाँ निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि पुराने कानूनों से नये भारत का निर्माण नही हो सकता। मौजूदा वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों का सामना करने और किसान समेत पूरे देश को विकास के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता होगी। किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों का सुपरिणाम शीघ्र ही देश के समक्ष आयेगा और आत्म निर्भर भारत के लिए हो रहे प्रयासों में हमारे अन्नदाता किसानों की बराबर की भूमिका होगी।

REFERENCES

नई कृषि नीति 2020 विक्रान्त सिंह, फाइनेंस एंड इक्नोमिक्स थिंक काउंसिल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कुरुक्षेत्र 'कृषि क्षेत्र में सुधार' अक्टूबर 2019

कुरुक्षेत्र 'उद्यमिता और स्टार्टअप' नवम्बर 2020